न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 27/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/98

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री हरेन्द्र कलाल/ विठ्ठल कलाल, प्रोपराईटर बालाजी रेस्टोरेंट, सेनावासा, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 08–01–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 26.09.2024 को सेनावासा स्थित बालाजी रेस्टोरेंट, सेनावासा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री श्री हरेन्द्र कलाल/ विठ्ठल कलाल की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 3 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी. गैस	389908 S	16.100	15.600	0.500
2	भारत गैस	426275 T	15.800	15.800	0.000
3	ईण्डेन गैस	132448 P	15.700	15.700	0.000

श्री हरेन्द्र कलाल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर त्रिपुरा गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल अहारी/ देवीलाल अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि उक्त गैस सिलेण्डरो को दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने गलती से दुकान के आगे रख दिये थे, जिस कारण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया है। मेरी दुकान जयपुर मुख्य मार्ग पर स्थित होने से आवागमन होता रहता है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई दुरुपयोग नही किया है और किसी भी प्रकार का कोई अवैध करोबार नही किया है। इस हेतु प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त कर जप्तशुदा 3 घरेलु गैस सिलेण्डर दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे।

दिनांक 08.01.2025 को अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपने जवाब में प्रस्तुत बिन्दुओ को ही अपनी ओर से बहस मानकर प्रकरण में जप्तशुदा सिलेण्डरो को सुपूर्द करने तथा प्रार्थी को उक्त प्रकरण से उन्मोचित करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 26.09.2024 को सेनावासा स्थित बालाजी रेस्टोरेंट, सेनावासा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री श्री हरेन्द्र कलाल/ विठ्ठल कलाल की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 3 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। श्री हरेन्द्र कलाल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर त्रिपुरा गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल अहारी/ देवीलाल अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 08–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:09:59 IST
Reason: SelfAttested